

10-9-24

पत्रावली पेश हुई वकील प्राधी उपस्थित प्रकरण
में वकील विपक्षी/ विपक्षी को न्यायालय में बार
बार अवाजे लगाई गई किन्तु सूचना के बावजूद
उपस्थित नहीं होने से विपक्षी गण के विरुद्ध एक
तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं पत्रावली
में वकील प्राधी की एक तरफा बहल सूनी गई ~~प्राधी~~
प्राधी का प्रा.पत्र अ.धा. 1284-RA का स्वीकार किया जाता
है। मौजा का हज्जा की आ.स 821, 822, 2395/273, 2396/
292, 2397/293 कुल कित्ता-5 कुल रकबा 0.8900 है। भूखे
की मालिकाना किये जाने हेतु तहसीलदार बेगम को 2000/-
रु कमिशनर बुल्क पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है
और आदेश दिया जाता है कि भौके की मालिकाना कर
मालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली में अब कोई और
कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली फौसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

१५